

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 03/प्रो.-05-03/2014/राँची, दिनांक :/

—: आदेश :—

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2981/वि. दिनांक 01.09.2009 एवं 1746/वि. दिनांक 12.08.2011 में निहित प्रावधानों के आलोक में दिनांक 16.07.2018 को विभागीय स्क्रीनिंग समिति की सम्पन्न बैठक में प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निम्न सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंताओं को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 एवं 05 में वर्णित तिथि से क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ क्रमशः वेतनमान PB-III रु. 15600-39100, ग्रेड पे 5400 एवं PB-III रु. 15600-39100, ग्रेड पे 7600 में स्वीकृत किया जाता है :-

क्रमांक	कनीय अभियंता का नाम/पदस्थापन स्थान/गृह जिला/जन्म तिथि/आई.डी.कोड	नियुक्ति की तिथि	बीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम.ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत द्वितीय वित्तीय उत्क्रमण वेतनमान PB-III 15600-39100 ग्रेड पे रु. 5400/- देय तिथि	तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम.ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण वेतनमान PB-III 15600-39100 ग्रेड पे 7600/- देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	श्री अनिल कुमार झा / ग्रा० वि० वि० प्र०, देवघर/ भागलपुर/02.03.60 / जे० 7637	31.01.87	01.09.08	—	
2.	श्री अरुणोदय कुमार/ ग्रा० वि० वि० प्रमंडल, देवघर/पटना/ 01.04.65 / जे०-8643	09.05.88	01.09.08	—	
3.	श्री शिव प्रसाद साह/ जलपथ प्रमंडल, हजारीबाग/ संथालपरगना/21.07.49 / जे०-6700	20.03.79	—	20.03.09	
4.	श्री रामपुकार महतो / सहायक अभियंता/ कोनार नहर प्रमंडल, बनासो/बेगुसराय/ 12.10.1958 / जे० 4992	05.02.79	—	05.02.09	

5.	श्री श्याम किशोर सिंह / जलपथ प्रमंडल हजारीबाग / शेखपुरा / 01.07.49 / जे० 6760	27.02.79	—	27.02.09	
6.	श्री रवीन्द्र कुमार मालवीय / राँची नगर निगम, राँची / जमुई / 06.01.65 / जे०-9123	07.05.93	07.05.13	—	
7.	श्री उदय शंकर गोस्वामी / ग्रा० वि० वि० प्रमंडल, साहेबगंज / भागलपुर / 02.01.1961 / जे०-7682	20.01.87	01.09.08	—	
8.	श्री महेश कुमार मिश्र / ग्रा० वि० वि० प्र०, साहेबगंज / खगड़िया / 31.10.61 / जे०-7515	16.01.87	01.09.08	—	
9.	श्री विद्याशरण राय / ग्रा० वि० वि० प्र०, जमशेदपुर / पटना / 05.06.49 / जे० 4452 / से० नि०	28.08.72 कार्यभारित स्थापना 25.01.79 से नियमित	—	01.09.08	
10.	श्री तेज नारायण सिंह / जलपथ प्रमंडल, बरही / रोहतास / 10.01.1951 / जे०-6272 (सेवानिवृत्त)	05.02.79	—	05.02.09	
11.	श्री कैलाश सिंह / ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, राँची / मुंगेर / 31.12.56 / जे०-8819	27.04.88	01.09.08	—	
12.	श्री सत्यनारायण शर्मा / ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, गुमला / भोजपुर / 15.10.1950	30.01.79	—	30.01.09	
13.	श्री नवल किशोर सिंह / तेनुघाट बांध प्रमंडल, तेनुघाट / मुंगेर / 05.01.56 / जे० 5850	06.02.79	—	28.03.12	विभागीय आदेश सं०-1726 दि०- 19.06.03 अंतर्गत दण्ड संस्मृति के कारण एम०ए०सी० पी० की आदेय तिथि में परिवर्तन
14.	श्री हरिशंकर सिंह / ग्रा० वि० वि० प्र०, हजारीबाग / बेगुसराय / 01.01.58 / जे 5852	02.02.79	—	02.02.09	
15.	श्री अनिल कुमार (से०नि०) / ग्रा०वि०वि०प्र०, दुमका / मधुबनी / 07.03.53	31.12.73	—	01.04.10	

16.	श्री तुलसी प्रसाद सिंह / नहर रूपांकण प्रमंडल, सं०-01, जमशेदपुर / नवादा / 03.05.61 / जे० 7689	19.01.87	01.09.08	—	
17.	श्री सुरेश प्रसाद / यांत्रिक प्रमंडल, मंडल, लातेहार / गया / 07.01.53	09.02.79	—	09.02.09	
18.	श्री रामानन्द प्रसाद सिंह / कदवन बौध प्रमंडल, नगर उंटारी / मुजफ्फरपुर / 5.04.49 / जे० 5751	26.01.79	—	26.01.09	
19.	श्री श्यामा कान्त सिंह / नहर रू० प्र० सं०-01, जमशेदपुर / पू० चम्पारण / 05.03.61 / जे 7543	17.01.87	01.09.11	—	तीन वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक का दण्ड संसूचन के कारण आदेय तिथि में परिवर्तन
20.	श्री विवेक कुमार सिंह (से० नि०) / सिंचाई प्रमंडल, सिकटिया / भागलपुर / 15.01.57 / जे० 8949	05.10.88	05.10.08	—	
21.	श्री रामजी प्रसाद सिंह (से० नि०) / सिंचाई प्रमंडल सं०-01, बरहेट (साहेबगंज) / पटना / 22.08.52 / जे० 5810 / 997 / 2007	08.02.79	—	08.02.09	
22.	श्री हेमन्त कुमार शर्मा (से० नि०) / गंगा पम्प नहर प्रमंडल, साहेबगंज / भोजपुर / 17.03.55 / जे० 6936	02.03.79	—	02.03.09	
23.	श्री किशोर कुमार झा / ल० सि० प्र० दुमका / मधुबनी / 05.07.1960 / जे० 8807	25.05.88	01.09.08	—	
24.	श्री बसंत कुमार लाभ / ल० सि० गुण नि० प्रमंडल, राँची / दरभंगा / 21.01.64 / जे० 8168	13.03.87	01.09.08	—	
25.	श्री उमेश प्रसाद सिंह / रूपांकण प्रमंडल, सं०-01, मेदिनीनगर / मुंगेर / 01.05.1949 / जे० 4428 बी	21.07.73 (कार्यभारित) 25.07.73 (नियमित)	—	01.09.08	
26.	श्री हरेन्द्र कुमार सिंह / खरकई नहर प्रमंडल, आदित्यपुर / सारण / 18.03.56 / जे० 7226	04.07.79	—	04.07.09	

27.	श्री शशिकान्त झा / (से० नि०) सिंचाई प्रमंडल, गोड्डा / भागलपुर / 01.09.1950 / जे०-6070	06.02.79	—	01.04.10	विभागीय आदेश सं०-352 दि०- 20.02.07 द्वारा घोर निंदन की सजा संसूचित
28.	श्री दशरथ शरण मंडल / (से० नि०) / सिंचाई प्रमंडल, पाकुड़ / 05.07.49 / जे०-3678	13.11.73	—	01.09.08	
29.	मो० नईम मियां / (से० नि०) सिंचाई प्रमंडल, दुमका / मुंगेर / 01.08.53 / जे०-4586	08.02.79	—	08.02.09	
30.	श्री रामेश्वर मिस्त्री / (से० नि०) लघु सिंचाई प्रमंडल, दुमका / भागलपुर / 10.07.53 / जे०-5878 /	03.02.79	—	03.02.09	झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम 43 बी के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल से प्रभावित होगा।
31.	श्री जयराम प्रसाद / (से० नि०) बराज प्रमंडल, गालूडीह / नालन्दा / 24.06.58 / जे 5309	03.02.79	—	25.09.09	विभागीय आदेश सं०-2497 दि०- 02.04.97 द्वारा दंडादेश संसूचित रहने के कारण देय तिथि Shift

(ख) वित्तीय उन्नयन के तहत प्रदत्त वित्तीय लाभ उन्नयन के फलस्वरूप निर्धारित वेतन के वित्त विभाग से सत्यापनोंपरांत ही देय होगा।

(ग) उपर्युक्त स्वीकृत वित्तीय उन्नयन में अगर कोई त्रुटि पायी जाती है अथवा मंत्रिमंडल निगरानी या किसी अन्य स्त्रोत से निगरानी स्वच्छता प्रतिकूल प्राप्त होता है तो स्वीकृत लाभ को रद्द/संशोधित कर भुगतान की गई राशि की एक मुस्त वसूली कर ली जाएगी और इसके विरुद्ध किसी प्रकार का दावा सरकार या न्यायालय में विचारणीय नहीं होगा।

(घ) प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ul

ह०/-
(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:-संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- 3311

राँची, दिनांक :- 03/10/18

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड राँची/सचिव, नगर विकास विभाग, राँची/प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना आदित्यपुर, जमशेदपुर/माननीय मंत्री (जल संसाधन) के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/मुख्य अभियंता ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची/संबंधित सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित)/ निदेशक, भूगर्भ जल निदेशालय, राँची/विभागान्तर्गत विशेष सचिव/संबंधित सभी अधीक्षण अभियंता/संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता/संबंधित सभी कनीय अभियंता/प्रशाखा-03 एवं 08/बायोडाटा कोषांग/वेब इन्फारमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
3/10/18

सरकार के अवर सचिव।